

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/ 1362 दिनांक:- 10-07-2025

कार्यालय आदेश

सुश्री माया देवी यादव, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय उच्च शिक्षा (ग्रुप-5), शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 13(18) उ. शि/ग्रुप-5/2003 पार्ट दिनांक 21.05.2025 के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 एवं 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 06.06.2025 से 19.06.2025 तक (कुल 14 दिवस)

उक्त 14 दिवस का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज सुश्री माया देवी यादव, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें। स्वीकृत असाधारण (अवैतनिक) अवकाश की अवधि तक कार्मिक के परिवीक्षाकाल में नियमानुसार अभिवृद्धि की जाएगी।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/ 1362 दिनांक:- 10-07-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उच्च शिक्षा (ग्रुप-5), शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
4. सुश्री माया देवी यादव, कनिष्ठ लेखाकार, (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय उच्च शिक्षा (ग्रुप-5), शासन सचिवालय, जयपुर
5. रक्षित/निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)